

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-54/2021 / सी.आई.एस. - 54/2021

बिंदेश्वरी भगत एवं अन्य बनाम मुकेश कुमार भगत एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
25/05//2026	वादी एवं प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र पूर्णिया के द्वारा पत्रांक क्रमांक 552/DCMC दिनांक 20/04/2026 के द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद बिहार राज्य विधिक सेवा अधिकार के द्वारा चलाये गए विशेष सुलह वार्ता अभियान .2 के अंतर्गत सुलह वार्ता बैठक हेतु जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र पूर्णिया भेजा गया था जिसमें समझौता बैठक सफल होकर समझौता ज्ञापन सह समझौता पत्र प्राप्त है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समझौता ज्ञापन के आलोक में वादी के द्वारा लाये गये वाद को सुलह के आलोक में जयपत्रित किया जाता है। समझौता ज्ञापन सह समझौता पत्र डिक्री का भाग होगा, तदनुसार डिक्री तैयार किया जाय। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	